दिनांक–29.09.2023

यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग 2023 के द्वितीय चक्र में प्रतिभाग करने के इच्छुक प्रथम चक्र से प्रवेशित एवं अप्रवेशित पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण सूचना–

- प्रथम चक्र में अभिलेखों के सत्यापन के समय कुछ अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये दिनांक 01.04.2023 को अथवा उसके बाद निर्गत प्रमाण–पत्र सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सकें थे अथवा भारत सरकार के सेवायोजन हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये थे। जो मान्य नही थे। यदि वर्तमान में उनका दिनांक 01.04.2023 को या उसके उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये निर्गत जाति प्रमाण–पत्र/आर्थिक रूप कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र उपलब्ध है और वह अपनी दावाकृत श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ चाहते हैं तो उन्हें इसके लिये लिखित रूप में ई0मेल (काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय अंकित ई0 मेल) द्वारा अध्यक्ष काउंसिलिंग यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग 2023 को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रेषित करने हेतु निर्धारित तिथि–05.10.2023 (समय अपराह्न 2:00 बजे तक) के उपरान्त प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। मान्य प्रमाण–पत्र एवं रजिस्ट्रेशन स्लीप की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करना आवश्यक है।

- इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिये जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्गत एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित के अभाव में उनको भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जा सका था। यदि वर्तमान में ऐसे अभ्यर्थी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्गत एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र रखते है और वह अपनी दावाकृत उपश्रेणी (भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित) का लाभ चाहते हैं तो उन्हें इसके लिये लिखित रूप में ई0मेल (काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय अंकित ई0 मेल) द्वारा अध्यक्ष काउंसिलिंग यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग 2023 को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रेषित करने हेतु निर्धारित तिथि–05.10.2023 (समय अपराह्न 2:00 बजे तक) के उपरान्त प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। मान्य प्रमाण–पत्र एवं रजिस्ट्रेशन स्लीप की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करना आवश्यक है।

- उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय उक्त वर्णित श्रेणी/उपश्रेणी के आरक्षण हेतु दावा प्रस्तुत किया हैं किन्तु उक्तानुसार वांछित प्रमाण–पत्र उनके द्वारा अपलोड नही किये गये है। ऐसे अभ्यर्थी यदि उक्तानुसार दावाकृत श्रेणी/उपश्रेणी के प्रमाण–पत्र रखते है एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें भी लिखित रूप में ई0मेल (काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय अंकित ई0 मेल) द्वारा अध्यक्ष काउंसिलिंग यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग 2023 को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रेषित करने हेतु निर्धारित तिथि–05.10.2023 (समय अपराह्न 2:00 बजे तक) के उपरान्त प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। मान्य प्रमाण–पत्र एवं रजिस्ट्रेशन स्लीप की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करना आवश्यक है।

- उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण के समय अंकित श्रेणी/उपश्रेणी को किसी भी दशा में परिवर्तित नही किया जायेगा।

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक/सदस्य सचिव।

Scanned with CamScanner